न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2016 निगरानी निग - 607 - II 16

श्री मती जायपत्री देवी पुत्री श्री आशाराम ब्राम्हण
आयु–65 वर्ष, व्यवसाय –गृहकार्य
निवासी–टेहरका तहसील निवाडी, जिला –
टीकमगढ, म0प्र0 ....आवेदिका

बनाम

रामदास अहिरवार पुत्र श्री कृपाराम
आयु-- लगभग 50 वर्ष, व्यवसाय– कृषि
निवासी–टेहरका तहसील निवाडी, जिला –
टीकमगढ, म0प्र0 ....अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, विरूद्व आदेश दिनांक 08/05/2015 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल, तहसील निवाडी, जिला टीकमगढ (म0 प्र0) जो प्रकरण कमांक 14/अ/12./14–15 में पारित कर अनावेदक द्वारा भूमि खसरा कमांक 71/27 के सीमांकन हेतु दिये गये आवेदन पत्र को स्वीकार किया हैं। निगरानी अन्तर्गत आदेश प्रदर्श ए–1 से चिन्हित किया गया है।

श्रीमान् जी,

आवेदिका की निगरानी सविनय निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, भूमि खसरा कमांक 71/12 रकवा 1,000 है0 स्थित ग्राम टेहरका भाटा तहसील निवाडी जिला टीकमगढ पर निगरानीकर्ता को व्यवस्थापन का पात्र पाया गया। निगरानीकर्ता का 02/10/84 के पूर्व से वास्तविक कब्जा श्रीमान अधीनस्थ न्यायालय में प्रमाणित किया है। माननीय आयुक्त महोदय सागर द्वारा प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु प्रकरण तहसीलदार निवाडी को प्रत्यावर्तित किया। श्रीमान तहसीलदार द्वारा प्रकरण माननीय अनुविभागीय अधिकारी निवाडी को प्रकरण कार्यवाही हेंतु भेजा। माननीय अनुविभागीय अधिकारी निवाडी द्वारा दि नांक 25/6/09 को तहसीलदार को स्थल निरीक्षण करने ,स्थल मानचित्र संलग्न करने आवेदिका का कब्जा चिन्हित करने का स्पस्ट अभिमत चाहा गया। लेकिन तहसीलदार महोदय द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई तव निगरानीकर्ता द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय टीकमगढ को अपील कमांक 154/09'–10 प्रस्तुत किया। जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 14/09/10 को आदेश पारित कर माननीय आयुक्त महोदय सागर के निर्देशो का पालन करने हेतु आदेश पारित किया है। इस प्रकार भूमि खसरा कमांक 71/12 रकवा 1,000 है0 पर निगरानीकर्ता का वास्तविक कब्जा है। जिसका अभी स्थल मानचित्र संलग्न करने आवेदिका

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 607-दो/2016 जिला टीकमगढ़ **जायपत्री विरूद्ध रामदास**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.के.खरे उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल तहसील निवाडी के प्रकरण क्रमांक 14/अ/12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 08-05-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 31.12.18 (आर.के. जैन) सदस्य	